न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 210/2001 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2001/00001

उनवान

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा (राज0)

(अपीलान्ट)

बनाम

पॉचूलाल आत्मज कान्हा मेधवाल निवासी सुल्तानपुर

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थित :– श्री पॉचूलाल ऋषि (प्रार्थी/अपीलान्ट)
श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल (अप्रार्थी)

अपील बनाराजगी निर्णय ना0 तहसीलदार उपनिवेशन दीगोद

दिनांक 24.01.78

निर्णय दिनांकः– 8/01/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किं उक्त अपील नायब तहसीलदार उपनिवेश दीगोद दिनांक 24.01.78 के विरूद्व इस न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम सुल्तानपुर में आराजी खसरा नम्बर 724 की 15X 12 वर्गफीट राजकिय भूमि पर अतिकमण कर अवैध निर्माण कार्य करने के आरोप में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर विवादग्रस्त आराजी से बेखल करने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में ना0 तहसीलदार दीगोद द्वारा पारित निर्णय की पालना में अप्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर निर्माण सामग्री की व भूखण्ड की निलामी कर बेचान कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.78 की अपील न्यायालय अति0 जिलाधीश (उप0) कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को न्यायालय अति0 जिलाधीश (उपनिवेश) कोटा द्वारा दिनांक 15.4.78 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। उक्त निर्णय की अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे प्रस्तुत की गई न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.4.1978 को निर्णय पारित कर पुनः पत्रावली नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश ने अपेन निर्णय दिनांक 28.12.78 में उक्त अपील अस्वीकार कि गई। उक्त निर्णय की अपील अपीलान्ट की ओर से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.12.78 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा का निर्णय बहाल रखा गया। अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट होकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 9.9.80 कि अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर मे की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा निर्णय दिनांक 23.07.1986 से इस न्यायालय का फैसला दिनांक 24.01.78 एवं 24.12.78 निरस्त किया जाकर धारा 22 की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के आदेश कमांक/71 (2) रीडर/डी. एम./2001/2948 दिनांक 10.07.2001 के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर इस न्याालय में प्राप्त होने पर पत्रावली न्याालय में दर्ज रजिस्टर की गई।

पत्रावली में उपस्थित वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पश्चात उक्त तथ्य सामने आये कि प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.7.86 से नायब तहसीलदार दीगोद के निर्णय दिनांक 24.1.78 एवं अति0 जिलाधीश कोटा (उपनिवेशन) के निर्णय दिनांक 28.12.78 तथा निर्णय दिनांक 9.9.80 को निरस्त किया जाकर जिलाधीश महोदय को उक्त प्रकरण में धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश है।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय हाजा के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है चूकि प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 23.7.86 के अनुसार धारा 22 के तहत कार्यवाही की जानी है। अतः उक्त प्रकरण तहसीलदार दीगोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रैषित किया जाता है कि प्रकरण में अपने स्तर से जॉच करे यदि विवादित आराजीयात् पर वर्तमान में भी अतिकमण हो तो नियमानुसार राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत कार्यवाही करे। यदि पक्षकारान् के मध्य विवादित भूमि को लेकर कोई स्वामित्व का विवाद हो तो अपने हक अधिकारो के लिए संक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 8/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

मुद्रा

अति. जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त ... कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक 8/01/26 मे प्रथम पृष्ठ पर अंकित ख.न. 724 के स्थान पर ख.न. 794 पढ़ा जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटा